फर्द अहकाम

रामप्रसाद बनाम गोपाल वगै0

न्यायालय का नाम–उपखण्ड अधिकारी जोबनेर

केस सं0 05/2024

क्र0सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	29.01.2024	अधिवक्ता श्री रामावतार सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। रिपोर्ट सरिश्ते हो चुकी है। अतः दर्ज रजिस्टर हो। अधिवक्ता प्रार्थी को एकपक्षीय सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थी संख्या 1ता10 को पाबंद कराने तथा प्रार्थीयां के उपयोग–उपभोग मे मजाहमत ना करने, विवादग्रस्त भूमि का तकासमा कराये बिना विक्रय/हस्तान्तरण नहीं करने, निर्माण न करने तथा मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत् निवेदन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा दावा अंतर्गत धारा 188 प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी स्वंय रिकार्डेड खातेदार नहीं है। पूर्व में संपूर्ण आराजी के विभाजन का दावा डिक्री किया जा चुका है। प्रार्थी ने पूर्ववर्ती दावा के निर्णय में त्रुटि बताते हुए उसी आधार पर यह दावा प्रस्तुत किया है। जो कि अपीलीय न्यायालय के विचारणीय बिंदू है। अतः प्रथम दृष्टय प्रकरण में प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है। अतः प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के विरुद्ध चाही गयी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना इस स्तर पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थीगण की तलबी जरिये रजि0 एडी0 नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 12.02.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	
	12/2/24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी द्वारा मूल वाद को Not Press किया जाने से मूल वाद खारिज किया जा चुका है। अतः प्रकरण को भी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर, जयपुर	